दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 12-09-2025

कांकेर के सांसद की अर्जी खारिज, चुनाव याचिका पर होगी सुनवाई

मतगणना व डेटा ट्रांसमिशन में हेराफेरी को लेकर लगी है याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा- पर्याप्त तथ्य, मेरिट पर सुनवाई योग्य

बिलासपुर | हाई कोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए सांसद भोजराज नाग के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है। नाग ने चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की थी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर को दिए गए आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में हुई कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य दिए हैं, इसलिए मामला सुनवाई योग्य है। 3 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग के खिलाफ कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका लगाई और और लोकसभा चुनाव परिणाम रद करने, कई बूथों की दोबारा मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान की मांग की। आरोप लगाया ईवीएम में गड़बड़ी व छेड़छाड़, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और वोटों की गिनती में गंभीर अनियमितताएं हुईं। याचिकाकर्ता ने गुंडरदेही, डोंडी लोहारा और कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर वोटों के अंतर और डेटा ट्रांसमिशन में हेरफेर की आशंका भी जताई है। वहीं, नाग ने दलील दी कि याचिका में भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने सांसद की दलीलों को नहीं माना।